टड न0 ल0-33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 2 जनवरी, 1990/12 पौष, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, UNA, DISTRICT UNA, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Una, the 25th October, 1989

No. 1974-2124/DA-1989.—In pursuance of Himachal Pradesh Government notification No. GAB-IA(I)-13/85, dated the 23rd July, 1987 and letter No. GAB-IA(4) 25/85, dated the 5th October, 1989, I, Rajmani Tripathi, I.A.S., Deputy Commissioner, Una hereby constitute the district level Grievances-*cum*-Food and Supplies Advisory Committee for Una district, as under :—

Non-Official Members:

1.	Minister of State for Planning and Food and Supplies, Himachal Pradesh.	*Chairman*
2.	All M. Ps. in the District.	*Members*
3.	All M. L. As. from Una district.	-do-
4.	All Chairman Panchayat Samitis in Una district.	-do-
5.	President DCC(I), Una.	-do-
6.	All General Secretaries of DCC(I) in the District.	-do-
7.	President District Youth Congress (I), Una.	-do-
8.	General Secretary District Youth Congress (I), Una.	-do-
9.	Shri Milkhi Ram s/o Nikka Ram, r/o Dehlan, Tehsil and District Una.	-do-
10.	Shrimati Soma Devi wife of Genesh Dutt Bharwal, V. and P. O. Bhera, Tehsil Amb, District Una.	-do-

11.	Shrimati Shyama Parmar wife of Jaswant Singh, Village Baruha, P. O. Takoli, Tehsil Bangana, District Una.	*Member*
12.	Gurbachan Dass s/o Bhagat Ram, Village Kuthar (Beet), Sub-Tehsil Haroli, District Una.	-do-
13.	Shri Sher Muhamad s/o Noordin, r/o Village Ghandawal, Tehsil and District Una.	-do-
14.	Shri Sham Lal Kaushal, Vill. and P. O. Santokhgarh, Tehsil and District Una.	-do-
15.	Shri Kamal Dev Shopkeeper, Vill. and P. O. Bhera, Tehsil Amb, District Una (H.P.).	-do-
16.	Shri Tirath Ram, Freedom Fighter, Vill. and P. O. Oel, Tehsil Amb, District Una.	-do-
17.	Capt Bhag Singh (Retd.), Village Dain, P. O. Mandali, Tehsil Bangana, District Una.	-do-

Official Members:

1.	Deputy Commissioner, Una.	*Member*
2.	Superintending Engineer, P.W.D. (B & R), Hamirpur.	-do-
3.	Superintending Engineer, H.P.S.E.B., Una.	-do-
4.	Superintending Engineer, H.P.S.E.B., Hamirpur.	-do-
5.	Conservator of Forest, Dharamshala.	-do-
6.	All Head of Offices in Una district.	-do-
7.	All Sub-Divisional Officer (Civil) in Una district.	-do-
8.	District Manager, Civil Supplies Corporation, Una.	-do-
9.	Additional District Magistrate, Una, District Una.	*Member-Secretary.*

2. In the absence of the Chairman, the Committee's meeting will be chaired by the M. Ps. representing the District by rotation failing which, these shall be chaired by M. L. A. of the District by rotation.

3. The roster of rotation will be alphabetical order of the name of the M. Ps. and M. L. As. in the Devnagari Script.

4. The tenure of the non-official members of the said committee shall be for a period of one year provided that the nominating authority may also withdraw the nomination in respect of any of the member in the public interest before expiry of his/her term.

5. The committee will meet at least once in two months at a time and place to be fixed by the Chairman.

6. The function of the committee will be to advise the Government with regard to matters relating to procurement, regularisation, distribution of all essential commodities and to maintain adequate public relations in the context of the state policies in this regard from time to time and the functions which were being carried out by the grievances committee at all levels.

7. The definition of the term 'Grievances' will remain the same as contained in Vigilance Department circular letter No. 8-5/72-VIG (GRV) II, dated the 4th May, 1974, copy of which have already been circulated *vide* this office endst. No. 4032-4100/RDA, dated the 18th September, 1987.

8. This office circular notification hearing No. 1736-1835/RDA/88, dated the 24th March, 1988 is hereby superseded.

RAJMANI TRIPATHI,
Deputy Commissioner,
Una, District Una.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89-45614-18.—क्योंकि श्री जय राम, प्रधान, ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 3480 94 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री जय राम, प्रधान, ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री जय राम, प्रधान, ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपन पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89-45609-13.—क्योंकि श्री छत्तर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत खलाणू, विकास खंड रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 1593.96 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री छत्तर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत खलाणू, विकास खण्ड रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री छत्तर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत खलाणू, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्ह हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होन की तिथि से 15 दिनों क भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89-45604-608.—क्योंकि श्री लाल सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश न पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 4507.60 रुपय अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंन सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री लाल सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका उप-प्रधान जैसे पद पर बन रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस० के० जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री लाल सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हि० प्र० को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम० एन० डी०-डैव-सैक्शन/89-45599-603.—क्योंकि श्री देविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत नटनेड़, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु० 597.50 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रख ह जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री देविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत नटनड़, विकास खण्ड, रिवालसर न अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस० के० जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री देविन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत नटनेड़, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हि० प्र० को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम० एन० डी०-डैव-सैक्शन/89-45594-98.—क्योंकि श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सैण, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु० 296.90 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सैण, विकास खण्ड, रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस० के० जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री परस राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सैण, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हि० प्र० को आदेश देता हूं कि क्यों ने उन्हें हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम० एन० डी०-डैव-सैक्शन/89-45589-93.—क्योंकि श्री हेम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बाड़ीगुमाणु, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु० 695.00 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हैं जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है ;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री हेम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बाड़ीगुमाणु, विकास खण्ड, रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री हेम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बाड़ीगुमाणु, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते ।

मण्डी, 14 दिसम्बर, 1989

संख्या एम0 एन0 डी0-डैव-सैक्शन/89-45584-88.—क्योंकि श्री राम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत तरनोह, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने पंचायत सभा निधि की धनराशि रु0 400.00 रुपये अपने पास अनाधिकृत रूप से रख ह जो सरासर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना है तथा उन्होंने सभा निधि का छल हरण/दुरुपयोग किया है;

क्योंकि इन तथ्यों के दृष्टिगत श्री राम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत तरनोह, विकास खण्ड, रिवालसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिस कारण उनका प्रधान जैसे पद पर बने रहना जनहितार्थ में नहीं है ।

अतः मैं, एस0 के0 जस्टा, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री राम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत तरनोह, विकास खण्ड, रिवालसर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को आदेश देता हूं कि क्यों न उन्ह पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते ।

एस0 के0 जस्टा,
अतिरिक्त उपायक्त,
मण्डी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 15 नवम्बर, 1989

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0 (5) 22/85.—क्योंकि श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कल्तर के विरुद्ध ग्राम सभा के कुछ सदस्यों द्वारा शिकायत करने तथा उस पर जिला अंकेक्षण अधिकारी, बिलासपुर द्वारा छान-बीन करने क फलस्वरूप निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं :—

कि श्री अमर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग नहीं ले रहे हैं परन्तु बैठकों के उपरान्त कार्यवाही रजिस्टरों में अपने हस्ताक्षर कर देते हैं;

कि उक्त प्रधान प्रायः रविवार व अवकाश वाले दिन पंचायत की बैठकें बुलाते हैं;

कि उक्त प्रधान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कानून के सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तथा उन्होंने यह चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय से कोई (Permission) इजाजत नहीं ली थी;

कि उक्त प्रधान के 4-4-1988 की कार्यवाही पुस्तिका पर ग्राम सभा की बैठक बारे हस्ताक्षर हैं परन्तु वास्तव में ग्राम सभा की इस दिन कोई बैठक नहीं हुई;

और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं । वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, बिलासपुर क माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भेजने की कृपा करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।